राष्ट्रीय शिक्षा नीति की (नेप) 2020 की प्रमुख विशेषताएँ : उच्चतर शिक्षा

1. नीति के मूल सिद्धांत:

- **जानना और पहचानना,** शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करके प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना।
- ग्रेड 3 तक के सभी छात्रों को मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता **प्रदान करना** ।;
- **लचीलापन**, ताकि शिक्षार्थियों को उनके सीखने के प्रक्षेपवक्र और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें;
- कला और विज्ञान के बीच **कोई कठिन अलगाव नहीं**, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों , व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं और सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच हानिकारक पदानुक्रम और बाधाओं को समाप्त करना
- बहुअनुशासनिक और समग्र शिक्षा एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ;
- रटने और परीक्षा के लिए सीखने की अपेक्षा **वैचारिक समझ पर जोर** ;
- तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए **रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच**;
- **नैतिकता, मानव और संवैधानिक मूल्य** जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय;
- शिक्षण और सीखने में **बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना**;
- **जीवन कौशल** जैसे संचार, सहयोग, टीम वर्क, और लचीलापन;
- **सीखने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करें** योगात्मक आकलन के बजाय जो आज की 'कोचिंग संस्कृति' को प्रोत्साहित करता है;
- शिक्षण और सीखने में **प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग**, भाषा की बाधाओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों के लिए बढ़ती पहुंच और शैक्षिक योजना और प्रबंधन;
- **विविधता के लिए सम्मान** हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है और सभी पाठ्यक्रमों, शिक्षाशास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान;

- **पूर्ण इक्विटी और समावेशन** सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली के विकास में सक्षम हैं;
- बचपन की देखभाल और शिक्षा से स्कूल शिक्षा तक उच्च शिक्षा तक **शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल**;
- **शिक्षकों और संकाय के सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण मनोयोग से अपनाने के रूप में** - उनकी भर्ती, निरंतर पेशेवर विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति;
- स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करते हुए ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक 'हल्का लेकिन तंग' नियामक ढांचा;
- **उत्कृष्ट शोध** उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में;
- **निरंतर समीक्षा** शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति;
- **भारत में एक जड़हीनता और गर्व**, और इसकी समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परंपराएं।
- **शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है**; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार माना जाना चाहिए;
- **एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश** साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान करना।

2. नीति का दर्शन

- एक शिक्षा प्रणाली जो भारतीय लोकाचार में निहित है जो भारत को बदलने में सीधे योगदान देती है, एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान समाज में, सभी को उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।

- हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान, एक देश के साथ संबंध और एक बदलती दुनिया में किसी की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता विकसित करनी चाहिए।

- भारतीय होने में एक गहन-गर्वित गर्व पैदा करने के लिए, न केवल विचार में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को विकसित करने के लिए, जो मानव अधिकारों, टिकाऊ विकास और जिम्मेदार

प्रतिबद्धता का समर्थन करें । जीवंत और वैश्विक कल्याण, जिससे वास्तव में वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है।

3. गुणवत्ता की शर्तें और संकलन: भारत के नागरिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण

- अच्छी विचारशील, बहुआयामी और रचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।
- एक व्यक्ति को एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करने में सक्षम बनाना चाहिए गहन स्तर पर रुचि, और चारित्रिक, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा सहित विषयों की एक सीमा से परे साथ ही पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक विषय को शामिल करते हुए 21 वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करना है।
- उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक सार्वजनिक सहभागिता और समाजोपयोगी योगदान को सक्षम करना चाहिए।
- छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए।
- भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में वर्तमान में मौजूद कुछ प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं:
    - गंभीर रूप से खंडित उच्च शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र;
    - संज्ञानात्मक कौशल और सीखने के परिणामों के विकास पर कम जोर;
    - प्रारंभिक विशेषज्ञता और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों में छात्रों की स्ट्रीमिंग के साथ विषयों का एक कठिन विभाजन ;
    - विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुंच, कुछ उच्च शैक्षणिक संस्थान जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं
    - सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता;
    - योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और संकाय और संस्थागत नेताओं की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र;

- अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध पर कम जोर, और विषयों में प्रतिस्पर्धी सहकर्मियों की समीक्षा तथा वित्त पोषण की कमी;
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों का शासन और नेतागिरी ;
- एक अप्रभावी नियामक प्रणाली; तथा
- स्नातक शिक्षा के निम्न मानकों के परिणामस्वरूप बड़े संबद्ध विश्वविद्यालय।

- यह नीति वर्तमान प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों को लागू करती है:
    - भारत भर में अधिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों के साथ बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ओर बढ़ते हुए, जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम प्रदान करते हैं;

एक अधिक बहु-विषयक स्नातक शिक्षा की

ओर अग्रसर ;

- संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर अग्रसर
- पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और छात्र समर्थन में सुधार
- संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना
- एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना
- शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले स्वतंत्र बोर्डों द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों पर शासन;
- "उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक द्वारा हल्का लेकिन तंग "विनियमन;
- पहुंच, इक्विटी और समावेश को बढ़ावा
-

4. इंस्टीट्यूशनल रिजल्ट और कंसॉलिडेशन

- 2040 तक, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या अधिक छात्र होंगे।

- 2030 तक, हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बडा बहु-विषयक उच्च शैक्षणिक संस्थान होगा।

- इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित 26.3% (2018) से बढ़ाकर 50% करना होगा।

- विकास सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर जोर होगा

- एक विश्वविद्यालय का अर्थ उच्च शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ स्नातक और स्नातक कार्यक्रम प्रदान करता है।

- इस प्रकार विश्वविद्यालय की परिभाषा उन संस्थानों के एक स्पेक्ट्रम की अनुमति देगी जो शिक्षण और अनुसंधान यानी अनुसंधान-गहन विश्वविद्यालयों पर समान जोर देते हैं। जो शिक्षण पर अधिक जोर देते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण शोध अर्थात शिक्षण-गहन विश्वविद्यालयों का संचालन करते हैं।

- स्वायत्त डिग्री-अनुदान देने वाला कॉलेज (एसी) एक बड़े बहु-विषयक को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और प्राथमिक रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है, हालांकि यह उस तक सीमित नहीं होगा।

- श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से, कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक मंच-वार तंत्र स्थापित किया जाएगा । उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अपनी योजनाओं, कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर धीरे-धीरे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में ले जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी।

- ये तीन व्यापक प्रकार के संस्थान किसी भी प्राकृतिक तरीके से एक कठोर, बहिष्कृत वर्गीकरण नहीं हैं, लेकिन एक निरंतरता के साथ हैं।

- उच्च शैक्षणिक संस्थान उनके विकास, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए संकाय विकास और स्कूली शिक्षा के समर्थन में अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन करेंगे।

- संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो।

- एकल-धारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों को समय के साथ चरणबद्ध किया जाएगा, और सभी जीवंत बहु-विषयक संस्थानों या जीवंत बहु-विषयी उच्च शैक्षणिक संस्थान समूहों के भाग बनने की ओर बढ़ेंगे।

- 'संबद्ध कॉलेजों' की प्रणाली को क्रमिक स्वायत्तता की एक प्रणाली के माध्यम से पंद्रह वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जाएगा, और यह कार्य एक चुनौती मोड में किया जाएगा।
- समग्र उच्च शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा सहित एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली होगी।
- देश में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के वर्तमान जटिल नामकरण जैसे कि 'विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाने वाला', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' आदि को मानदंडों को पूरा करने पर बस 'विश्वविद्यालय' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. एक अधिक ऐतिहासिक और बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम

- एक समग्र और बहुआयामी शिक्षा मानव के बौद्धिक, सौंदर्य, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखेगी।
- इस तरह की समग्र शिक्षा, पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों के दृष्टिकोण के लिए लंबी अवधि में होगी।
- यहां तक कि IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थान, अधिक कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे और सभी अधिक व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल को शामिल करने का प्रयास करेंगे।
- कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजनों को सक्षम करेगी, और कई प्रवेश और निकास बिंदुओं की पेशकश करेगी।
- भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित और मजबूत किया जाएगा।
- सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल होंगी।

- स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी, इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प के साथ, उपयुक्त प्रमाणपत्र के साथ, उदाहरण के लिए, व्यावसायिक या व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन या क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र, या 2 के बाद एक डिप्लोमा अध्ययन के वर्षों, या एक 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम, पसंदीदा विकल्प होगा।

- एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा ताकि उच्च शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त डिग्री को अर्जित क्रेडिट में ध्यान में रखते हुए सम्मानित किया जा सके।

- यदि छात्र उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (ओं) में एक कठोर अनुसंधान परियोजना को पूरा करता है, तो 4-वर्षीय कार्यक्रम भी 'अनुसंधान के साथ' एक डिग्री का नेतृत्व कर सकता है।

- समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय, IIT, IIM, आदि के साथ, जिन्हें MERUs (बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय) कहा जाता है, की स्थापना की जाएगी और गुणवत्ता शिक्षा के उच्चतम वैश्विक मानकों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाएगा ।

- उच्च शैक्षणिक संस्थान, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में केंद्र, अधिक से अधिक उद्योग-शैक्षणिक संपर्क और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतःविषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे ।

6. छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और समर्थन

- संस्थानों और फैकल्टी को पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, और उच्च शिक्षा शिक्षा के व्यापक ढांचे के भीतर मूल्यांकन के मामलों पर नवाचार करने की स्वायत्तता होगी।

- सभी मूल्यांकन प्रणालियाँ भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा तय की जाएंगी, जिनमें अंतिम प्रमाणन भी शामिल है। च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) को इनोवेशन और लचीलेपन के लिए संशोधित किया जाएगा।

- उच्च शैक्षणिक संस्थान एक मानदंड-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली की ओर बढ़ेगा जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करता है

- उच्च शैक्षणिक संस्थान भी अधिक निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की दिशा में उच्च-तनाव वाली परीक्षाओं से दूरी बनाएँगे।

- प्रत्येक संस्थान अपनी अकादमिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा लेनदेन की गुणवत्ता तक - अपनी बड़ी संस्थागत विकास योजना (IDP) में एकीकृत करेगा।

- सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र और पेशेवर शैक्षणिक और कैरियर परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे।

- ओडीएल के प्रणालीगत विकास, विनियमन, और मान्यता के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे, और ओडीएल की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जो सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संस्तुत ।

- सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों और विषयों में शिक्षाशास्त्र, इन-क्लास, ऑनलाइन, और ओडीएल मोड में और साथ ही छात्र समर्थन गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त करना होगा।

7. अंतर्राष्ट्रीयकरण

- भारत में अध्ययन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की बड़ी संख्या, और भारत में छात्रों के लिए अधिक गतिशीलता, अध्ययन करना, क्रेडिट ट्रांसफर करना, या विदेशों में संस्थानों में शोध करना ।

- भारत को सस्ती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा

- विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्च शैक्षणिक संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए स्थापित किया जाएगा।

- उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान / शिक्षण सहयोग और संकाय / छात्र आदान-प्रदान की सुविधा होगी

- उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

- इसी तरह, चयनित विश्वविद्यालयों जैसे, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से जिन्हें भारत में काम करने की सुविधा होगी।

- इस तरह की प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करने वाले एक विधायी ढांचे को रखा जाएगा, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के साथ नियामक, शासन, और सामग्री मानदंडों के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी।

8. छात्र की गतिविधि और भागीदारी

- खेल, संस्कृति / कला क्लबों, इको-क्लबों, गतिविधि क्लबों, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं आदि में भाग लेने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

- प्रत्येक शिक्षा संस्थान में, तनाव और भावनात्मक समायोजन से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।

- आवश्यकतानुसार छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाना।

- सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान अपने संस्थानों में सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

9. छात्रों के लिए वित्तीय समर्थन

- एससी, एसटी, ओबीसी, और अन्य एसईडीजी से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।

- निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त हवाई यात्रा और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

10. निजी, अधिकृत, और योग्य सुविधा

- सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ कार्य शौचालय, ब्लैकबोर्ड, कार्यालय, शिक्षण आपूर्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और सुखद कक्षा स्थान और परिसरों सहित बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं से लैस होंगे।

- हर कक्षा में नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच होनी चाहिए जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है।

- संकाय को अनुमोदित ढांचे के भीतर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोणों को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

- उच्च शैक्षणिक संस्थान में स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया और संकाय भर्ती के मानदंड होंगे।

11. शिशु शिक्षा में योग्यता और समावेश

- उच्च शिक्षा के लिए विशिष्ट कार्य सभी सरकारों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाए जाएंगे।

- सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम

    (a) SEDGs की शिक्षा के लिए वर्षवार उपयुक्त सरकारी धन उपलब्ध कराना

    (b) SEDGs के लिए उच्च GER के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण
    (c) उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में लैंगिक संतुलन बढ़ाना
    (d) अत्यधिक आवश्यकता वाले जिलों और विशेष शिक्षा क्षेत्रों में अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके पहुंच बढ़ाना
    (e) उच्च-गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों का विकास और समर्थन करना जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से सिखाते हैं
    (f) SEDGs को सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करें
    (g) SEDGs के बीच उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति पर बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों का संचालन करना
    (h) बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों का विकास और समर्थन करें।

- सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम

    (a) उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर लागत और शुल्क को कम करें
    (b) अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करें
    (c) उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति के आधार पर आचरण
    (d) प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाएं
    (e) पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाएं
    (f) उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की रोजगार क्षमता में वृद्धि

(g) भारतीय भाषाओं में और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना

(h) सुनिश्चित करें कि सभी इमारतें और सुविधाएं व्हीलचेयर-सुलभ और अक्षम हैं

(i) वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए सेतु पाठ्यक्रम विकसित करना

(j) सामाजिक-भावनात्मक और शैक्षणिक सहायता और सलाह प्रदान करें

(k) जेंडर-आइडेंटिटी इश्यू पर फैकल्टी, काउंसलर और छात्रों के संवेदीकरण को सुनिश्चित करना और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के सभी पहलुओं में शामिल करना, जिसमें पाठ्यक्रम शामिल हैं

(l) सभी गैर-भेदभाव और उत्पीड़न विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करें

(m) संस्थागत विकास योजनाएं विकसित करें जिसमें SEDGs से बढ़ती भागीदारी पर कार्रवाई की विशिष्ट योजना हो।

12. राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की समीक्षा

- अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा।

- 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम लेना होगा, जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी।

- उच्च शिक्षा संस्थान अपने स्रोत से और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

- बचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज 2013 में शुरू की गई डिग्री मौजूद रहेगी, लेकिन अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे, जिसमें 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम शामिल हैं।

- 'लोक विद्या, अर्थात, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

- मुक्त और दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की संभावना का भी पता लगाया जाएगा।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस प्रयास की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा ।

- उद्योगों के साथ साझेदारी में उच्च शिक्षा संस्थानों में केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा।
- क्रेडिट-आधारित फ्रेमवर्क भी 'सामान्य' और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता की सुविधा प्रदान करेगा।

13. सभी नए क्षेत्रों में गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान

- एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना।
- एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) स्वतंत्र रूप से सरकार, एक घूर्णन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और नवप्रवर्तक शामिल होंगे।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की प्राथमिक गतिविधियां निम्नलिखित होंगी:
    - सभी प्रकार के और सभी विषयों में फंड प्रतिस्पर्धी, सहकर्मी-समीक्षा अनुदान प्रस्ताव;
    - शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान के लिए बीज, विकास और सुविधा
    - शोधकर्ताओं और सरकार की प्रासंगिक शाखाओं के साथ-साथ उद्योग के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना; ताकि सफलताओं को नीति और / या कार्यान्वयन में बेहतर रूप से लाया जा सके; तथा
    - बकाया अनुसंधान और प्रगति को पहचानना

14. शिशु संवर्धन की नियामक प्रणाली का स्थानांतरण

- उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि विनियमन, प्रत्यायन, वित्त पोषण और शैक्षणिक मानक सेटिंग के अलग-अलग कार्य अलग-अलग, स्वतंत्र और सशक्त निकायों द्वारा किए जाएंगे।
- इन चार संरचनाओं को एक नियंत्रक संस्था, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के भीतर चार स्वतंत्र ऊर्ध्वाधर के रूप में स्थापित किया जाएगा।
    - भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की पहली ऊर्ध्वाधर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) होगी। यह शिक्षक शिक्षा और चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य, एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करेगा।
    - भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की दूसरी ऊर्ध्वाधर, एक 'मेटा-मान्यता प्राप्त निकाय' होगी, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC) कहा जाता है। संस्थानों का प्रत्यायन मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन, और परिणामों पर आधारित होगा, और इसे नैक द्वारा निगरानी और देखरेख करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों के एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किया जाएगा।
    - भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)का तीसरा ऊर्ध्वाधर उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) होगा, जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्च शिक्षा के वित्तपोषण और वित्तपोषण का कार्य करेगा।
    - भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) का चौथा वर्टिकल जनरल एजुकेशन काउंसिल (GEC) होगा, जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को फ्रेम करेगा, जिसे 'स्नातक विशेषताओं' के रूप में भी जाना जाता है। GEC द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार किया जाएगा।
- विनियमन (NHERC), प्रत्यायन (NAC), निधिकरण (HEGC), और शैक्षणिक मानक सेटिंग (GEC) और ओवररचिंग ऑटोनॉमस नियंत्रक बॉडी (HECI) के लिए सभी स्वतंत्र वर्टिकल का कामकाज स्वयं पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण पर आधारित होगा, और इसका उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर मानव इंटरफ़ेस को कम करने के लिए उनके काम में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।
- इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR), वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (VCI), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE), काउंसिल ऑफ

आर्किटेक्चर (CoA), नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (NCVET) जैसी व्यावसायिक परिषदें आदि, व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों (PSSBs) के रूप में कार्य करेगा।

- कार्यों के पृथक्करण का अर्थ होगा कि एचईसीआई के भीतर प्रत्येक ऊर्ध्वाधर एक नई, एकल भूमिका पर ले जाएगा जो नई नियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है।

15. शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करना

- सभी शिक्षा संस्थानों को ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों के लिए एक के लिए लाभ की इकाई नहीं के रूप में रखा जाएगा । यदि कोई हो, तो सरप्लस को शैक्षिक क्षेत्र पुनर्निमित किया जाएगा।
- इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, जिसमें आम जनता के लिए शिकायत-निवारण तंत्र का सहारा लिया जाएगा।
- NAC द्वारा विकसित मान्यता प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जाँच प्रदान करेगी, और NHERC इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयामों में से एक के रूप में मानेगा।
- निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) द्वारा निर्धारित सभी शुल्क और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे, और किसी भी छात्र के नामांकन की अवधि के दौरान इन फीस / शुल्कों में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। यह शुल्क निर्धारण तंत्र, यह सुनिश्चित करते हुए लागत की उचित वसूली सुनिश्चित करेगा कि उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEI) अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है।

16. उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व

- श्रेणीबद्ध मान्यता और श्रेणीबद्ध स्वायत्तता की एक उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से, और 15 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से, भारत के सभी **उच्च शिक्षा संस्थानों** (HEI) का उद्देश्य नवप्रवर्तन और उत्कृष्टता का अनुसरण करने वाले स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनना होगा।

- इस तरह के कदम के लिए तैयार संस्थान को उपयुक्त ग्रेडेड मान्यता प्राप्त करने पर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) की स्थापना की जाएगी। सदस्यों का चयन करते समय इक्विटी के विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा।

- किसी संस्था का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त संस्था को संचालित करने के लिए सशक्त होगा। इस बात की परिकल्पना की गई है कि इस प्रक्रिया के दौरान सभी **उच्च शिक्षा संस्थानों** (HEI) को प्रोत्साहन, समर्थन और सलाह दी जाएगी, और इसका उद्देश्य स्वायत्त बनना होगा और 2035 तक ऐसे सशक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) होंगे।

- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड के पारदर्शी स्व-खुलासे के माध्यम से हितधारकों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। यह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) के माध्यम से HECI द्वारा अनिवार्य सभी नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

17. व्यावसायिक शिक्षा

- केवल कृषि विश्वविद्यालयों, कानूनी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्य क्षेत्रों में स्टैंड-अलोन संस्थानों का उद्देश्य समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने वाले बहु-विषयक संस्थान बनना होगा।

- सभी संस्थान जो पेशेवर या सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं, का उद्देश्य व्यवस्थित रूप से उन संस्थानों / समूहों में विकसित होना होगा जो दोनों को मूल रूप से और 2030 तक एकीकृत तरीके से पेश करेंगे।

- कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं से जुड़े बेहतर कुशल स्नातकों और तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान और बाजार-आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

- कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को सीधे स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए; प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और प्रसार को बढ़ावा देने और टिकाऊ तरीकों

को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए एक दृष्टिकोण हो सकता है।

- न्यायिक शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और न्याय तक व्यापक पहुंच के लिए नई तकनीकों को अपनाने और समय पर वितरण की आवश्यकता है।

- हेल्थकेयर शिक्षा को फिर से लागू करने की आवश्यकता है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि, संरचना और डिजाइन की भूमिका आवश्यकताओं से मेल खा सके ।

- यह देखते हुए कि लोग स्वास्थ्य सेवा में बहुलवादी विकल्पों का उपयोग करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अर्थ होना चाहिए, ताकि एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) और इसके विपरीत की बुनियादी समझ हो। ।

- स्वास्थ्य देखभाल - शिक्षा के सभी रूपों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक चिकित्सा पर अधिक जोर दिया जाएगा।

- तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों और कार्यक्रमों के भीतर पेश किया जाना है और इन विषयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है।

- भारत को अत्याधुनिक क्षेत्रों में पेशेवरों को तैयार करने में भी अग्रणी होना चाहिए, जो कि जीनोमिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3-डी मशीनिंग, बड़े डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग, तंत्रिका विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ जो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रमुखता प्राप्त कर सकें ।

18. भारतीय भाषा, कला, और संस्कृति का प्रचार

- भारतीय कला और संस्कृति का प्रचार न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति बच्चों में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली प्रमुख दक्षताओं में से एक हैं, ताकि उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और पहचान प्रदान की जा सके।

- बचपन से देखभाल और शिक्षा के साथ शुरू होने वाली सभी प्रकार की भारतीय कलाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- भारतीय भाषाओं के शिक्षण और सीखने को हर स्तर पर स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।

- भाषाओं के प्रासंगिक और जीवंत बने रहने के लिए, इन भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, वीडियो, नाटकों, कविताओं, उपन्यासों, पत्रिकाओं, आदि सहित उच्च गुणवत्ता वाली सीखने और प्रिंट सामग्री की एक स्थिर धारा होनी चाहिए।

- भाषाओं को व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने वाले अपने शब्दकोषों और शब्दकोशों में लगातार आधिकारिक अपडेट होना चाहिए, ताकि इन भाषाओं में सबसे मौजूदा मुद्दों और अवधारणाओं पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सके।

- स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहल- स्कूल के सभी स्तरों पर संगीत, कला और शिल्प पर अधिक जोर; बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए तीन-भाषा सूत्र का प्रारंभिक कार्यान्वयन; जहां संभव हो घर / स्थानीय भाषा में शिक्षण; अधिक अनुभवात्मक भाषा सीखने का संचालन करना; मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, शिल्पकारों और अन्य विशेषज्ञों की भर्ती; मानविकी, विज्ञान, कला, शिल्प और स्पोर्ट्ससेट में आदिवासी और अन्य स्थानीय ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करना।

- भारतीय भाषाओं में मजबूत विभाग और कार्यक्रम, तुलनात्मक साहित्य, रचनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन, आदि देश भर में लॉन्च और विकसित किए जाएंगे, और 4 वर्षीय बी.एड. इन विषयों में दोहरी डिग्री विकसित की जाएगी।

- प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान और यहां तक कि प्रत्येक स्कूल या स्कूल परिसर में कला, रचनात्मकता, और क्षेत्र / देश के समृद्ध खजाने के लिए छात्रों को उजागर करने के लिए कलाकार (ओं) का होंगे ।

- उच्च शिक्षा में अधिक उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEI), और अधिक कार्यक्रम, मातृभाषा / स्थानीय भाषा का उपयोग अनुदेश के माध्यम के रूप में करेंगे, और / या द्विभाषी कार्यक्रमों की पेशकश करेंगे।

- उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम और अनुवाद और व्याख्या, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, पुरातत्व संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन और उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर वेब डिजाइन में डिग्री भी बनाई जाएंगी ।

- उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) के छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करना, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ और प्रशंसा का कारण बनेगा।

- भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान (IITI) की स्थापना की जाएगी। IITI अपने अनुवाद और व्याख्या प्रयासों में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा।

- संस्कृत को स्कूल में मजबूत प्रस्ताव के साथ मुख्यधारा में लाया जाएगा - जिसमें तीन-भाषा सूत्र में भाषा के विकल्पों में से एक के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी शामिल है। संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के बड़े बहु-विषयक संस्थान बनने की ओर अग्रसर होंगे।

- भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा, जिसमें उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास हैं, जिन पर अभी तक उनका ध्यान नहीं गया है।

- पूरे देश में संस्कृत और सभी भारतीय भाषा संस्थानों और विभागों को काफी मजबूत किया जाएगा

- शास्त्रीय भाषा संस्थानों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के साथ विलय करना होगा, जबकि उनकी स्वायत्तता बनाए रखेंगे, ताकि संकाय काम कर सकें, और छात्रों को भी मजबूत और कठोर बहु-विषयक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके।

- भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय बहु-विषयक बन जाएंगे

- पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान (या संस्था) भी एक विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्थापित किए जाएंगे।

- भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए, अकादमियों की स्थापना कुछ महान विद्वानों और मूल वक्ताओं से की जाएगी। आठवीं अनुसूची भाषाओं के लिए ये अकादमियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श या सहयोग से स्थापित की जाएंगी। अन्य अत्यधिक बोली जाने व भारतीय भाषाओं के लिए अकादमियाँ भी इसी तरह केंद्र और / या राज्यों द्वारा स्थापित की जा सकती हैं।

- भारत में सभी भाषाओं, और उनकी संबंधित कला और संस्कृति को एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म / पोर्टल / विकी के माध्यम से प्रलेखित किया जाएगा, ताकि लुप्तप्राय और सभी भारतीय भाषाओं और उनके संबंधित समृद्ध स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित किया जा सके।

- स्थानीय मास्टर्स और / या उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी।

****